

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 32/2021

प्राथी :-

1. हनुमानराम पुत्र मोवणाराम
 2. खेतुदेवी पत्नी मोवणाराम
- जाति जाट निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राणा वल्द पीरा
 2. ताजा वल्द पीरा
 3. टीकू वल्द पीरा
 4. जेठाराम वल्द भोमाराम
 5. मंगनाराम पुत्र भोमाराम
- जाति जाट निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. पोकरराम पुत्र जयरामाराम
 7. नेनाराम पुत्र गोरखाराम
- जाति भेगवाल निवासी नाईयों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण - अनुपस्थित


--: आदेश :-

दिनांक :- 3-9-21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध वावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमावन्दी संवत् 2072-2075 सरहद मौजा नाईयों की ढाणी पटवार मण्डल नौखडा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 34/4 रकबा 32-07 वीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम वतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे वचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमवन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिखातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में


उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विवादित खसरा सरहद मौजा नाईयों की ढाणी पटवार मण्डल नौखडा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा 34/4 रकवा 32-07 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावली नाडी, नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक3-9-21..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपस्थित अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद/2021/693

प्रार्थीगण

हनुमान राम कोर

बनाम

दिनांक : 24/9/21

विप्रार्थीगण

राज कोर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं. 32/21

निर्णय दिनांक :- 03/09/21

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम रा.भू.रा. के खेत खसरा
नम्बर 34/4 रकबा 32-07 खसरा नम्बर रकबा खसरा
नम्बर रकबा खसरा नम्बर रकबा एवं
खसरा नम्बर रकबा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर
उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,

गुडामालानी

दिनांक : 24/9/21

क्रमांक: वाद/2021/694-95

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी R.G.T. राजनी गाडी नगर
3. हल्का पटवारी न.र.स. को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी
कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी हनुमान राम कोर
5. विप्रार्थी राज कोर

उपखण्ड अधिकारी,

गुडामालानी